न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला– सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
34/2016	2016/435	12.02.2016	05.05.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान

1. मदन उम्र 42 साल
2. जयप्रकाश उम्र 40साल
3. पुत्र गण मंगल चन्द

जाति माली निवासी ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

वादीगण

बनाम्

1. ईश्वर राम पुत्र मंगलचन्द उम्र साल
2. माली देवी पत्नी मंगलचन्द उम्र साल

   जाति माली निवासी ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)
3. जालिम सिंह पुत्र गिरधारी लाल उम्र साल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर –5 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
4. दानाराम पुत्र रूघाराम उम्र साल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर–5 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
5. मनोहरसिंह पुत्र बचनसिंह उम्र साल
6. रूप कंवर पत्नी उगम सिंह उम्र साल
7. नरेन्द्र सिंह पुत्र उगम सिंह उम्र साल
8. नरपत सिंह पुत्र पाबुदान सिंह उम्र साल

जाति राजपुत निवासी ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

05/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

10. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा
(अर्न्तगत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 231, 233, 234, 240 कुल किता 4 कुल रकबा 1.14 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 2.07 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसमें वादीगण हिस्सा 2/10 के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होकर अपनी उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर पुर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। शेष हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज है। उक्त वार्णित भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या –1 ता 8 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसका अभी तक विधिक तकास्मा नहीं हुआ है। वादीगण भूमि में अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा 2/10 पर पूर्णत काबिज चले आ रहे है तथा अपनी भूमि को काफी खर्चा व मेहनत करके विकसित व उपजाउ बना रखी है परन्तु भूमि का विधिक तकास्मा नही होने से वादीगण को सख्त हक तलफी है तथा वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में संयुक्त खातेदारी होने से काफी परेशानी होती है। इसलिए भूमि का विधिक तकास्मा हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त अनुसार करवाया जाकर वादीगण को उनकी 2/10 भाग की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाना न्यायेचित व आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से भूमि का विधिक तकास्मा करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते आ रहे है परन्तु दिनांक 2–12–2015 को इन्कार हो गये तथा वादीगण को धमकी दी कि संयुक्त खातेदारी की आड़ में भूमि पर मनमर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से मनचाही जगह पर कब्जा करके रहेगे तथा वादीगण को उनकी हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करके रहेगे। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वकील वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर अपने नाम दर्ज भूमियों का कानूनी रूप से विधिक विभाजन किये जाने हेतु वाद वास्ते बटवारा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिभाषक वादीगण ने निवेदन किया कि वादपत्र द्वारा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 इस आशय की डिक्री प्रदान करवायी जावे की वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाद पत्र मे वर्णित खसरा 231, 233, 234, 240 कुल किता 4 कुल रकबा 1.14 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 2.07 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 के मध्य विधिक तकास्मा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर वादीगण को उसकी हक हिस्सा एंव खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा 2/10 का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने हेतु डिक्री प्रदान कराई जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री प्रदान कराये जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की तामील हो जाने के बावजूद आज दिवस तक उपस्थित हाजिर नही आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 05.11.2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 12/रीडर/2022 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1151/ 2022 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:10 IST
Reason: Self Attested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी ... श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 में [illegible] विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

25/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रविष्टी					
क्र स	काश्तकारों के नाम	खसरा न.	रकबा (हैक्टे.में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	मदन पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 2/5, जयप्रकाश पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 2/5, माली देवी पत्नि मंगलचन्द हिस्सा 1/5 समस्त जाति माली सा. देह खातेदार	232/1 231/2 240/2 ------ कुल किता–3	0.5550 0.0400 0.2075 ----- कुल रकबा 0.8025	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	नियमानुसार
2	ईश्वर राम पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 2/5, जाति माली, जालिम सिंह पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 3/5, जाति जाट सा. देह खातेदार	231/1 240/1 कुल खसरे–2	0.5900 0.2125 कुल रकबा 0.8025	बारानी 3 बारानी 3	नियमानुसार
3	ज्ञान कॅवर पुत्री नरपतसिंह हिस्सा 73/5350, चाफू कॅवर पत्नी स्व0 नरपतसिंह हिस्सा 73/5350, मूल सिंह पुत्र नरपतसिंह हिस्सा 22/1605, राजेन्द्र सिंह पुत्र नरपतसिंह हिस्सा 22/1605, रूपकवॅर पत्नि उगमसिंह हिस्सा 3781/8025, नरेन्द्र सिंह पुत्र उगम सिंह हिस्सा 1003/8025, मनोहरसिंह पुत्र बचन सिंह हिस्सा 453/2675, विक्रमसिंह पुत्र उगम सिंह हिस्सा 531/5350 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार, दानाराम पुत्र रूघाराम हिस्सा 431/5350 जाति जाट सा. देह खातेदार	233 234 232/2 कुल किता–3	0.04 0.05 1.5150 कुल रकबा 1.6050 हैक्टर	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	नियमानुसार

05/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2022/1151 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

05/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested